वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

167

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन एवं वार्षिक वित्तीय व्यय 3815.18 लाख (तीन हजार आठ सौ पन्द्रह लाख अठारह हजार) रूपये पर 1281 पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम है, जिसकी स्थापना सरकार द्वारा तत्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभुकों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1973 में की गयी थी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अस्तित्व में आने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सराहनीय प्रयास करते हुए लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. कालांतर में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं यथा मध्याह्न भोजन योजना, ए०पी०एल० योजना, बी०पी०एल० योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले राज्य के लाभुकों को अनुदानित खाद्यान्नों की आपूर्ति किये जाने का दायित्व भी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सौंपी गयी, जिसमें निगम द्वारा सराहनीय प्रयास करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से अनुदानित खाद्यान्नों को राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लाभुकों तक सफलतापूर्वक वितरण कराने का कार्य सम्पन्न किया गया जिसका प्रशासनिक ढॉचा उसी के अनुरूप निर्धारित किया गया है।

3. वर्ष 2000 में एकीकृत बिहार का बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य में बॅटवारे के फलस्वरूप निगम के स्तर पर पूर्व गठित प्रशासनिक संरचना के कई महत्वपूर्ण पद झारखंड राज्य को हस्तांतरित करने की बाध्यता हो गयी। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आस्तियों का भी बॅटवारा करना पड़ा, जिससे बिहार राज्य खाद्य निगम के आर्थिक एवं प्रशासनिक ढॉचे पर दायित्वों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एकीकृत बिहार बॅटवारे के पश्चात् दिनांक– 14.11.2000 को निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्वीकृत पद बल 2704 बिहार राज्य को प्राप्त था। उक्त स्वीकृत पद के विरूद्ध बिहार निगम मुख्यालय में 106 पदाधिकारी एवं राज्य में 1253 कार्मिक कार्यरत थे ।

4. एकीकृत बिहार के बॅटवारे के पश्चात् उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति के बावजूद निगम के दायित्वों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई एवं जिसके तहत राज्य में वर्ष 2010–11 में अधिप्राप्ति कार्य का दायित्व निगम को सौंपा गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 से राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था लागू है, जिसमें बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उपर्युक्त सभी दायित्वों को निगम स्तर पर संरक्षित/व्यवस्थित गोदामों में भंडारण कर कार्यों को निष्पादित किया जाता है।

18/8/2017

C:\Users\Food & Consumer\Desktop\Shanlakh Food & BSFC Final dt. 28.07.07\Expenditure Sankap-2017.doc

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 लागू किये जाने के पश्चात् बिहार राज्य द्वारा उक्त अधिनियम को राज्य अंतर्गत लागू किये जाने में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया। साथ ही समानांतर रूप से पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन तथा डोर स्टेप डिलेवरी कार्यक्रम का भी सम्पूर्ण दायित्व बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सौंपा गया, जिसका क्रियान्वयन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्तर पर Supply Chain Management के साथ किया जा रहा है। उपर्युक्त के अनुरूप बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से जी0पी0एस0 युक्त वाहनों में लोड शेल की व्यवस्था सुनिश्चित कर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार Supply Chain Management के तहत स्थापित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए कुशल तकनीकीयुक्त कर्मी के अतिरिक्त इसके अनुश्रवण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए पृथक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि खाद्यान्नों को लाभुकों तक पहुँचाने में विचलन की समस्या को समाप्त किया जा सके। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्तर पर दायित्वों के गुरूत्तर वृद्धि होने के परिप्रेक्ष्य में निगम के स्तर पर वर्तमान में कार्यरत प्रशासनिक संरचना एवं कार्यरत बल दायित्वों के गुरूत्तर वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त नही है। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकुशल कर्मी एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आधुनिक तकनीकी रूप से सम्पन्न बनाने के साथ सम्प्रति सौंपी गयी सभी व्यवस्थाओं गोदामादि के सुचारू रूप से संचालन, प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के वर्तमान प्रशासनिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है।

5. कृषि रोड मैप के तहत राज्य में उत्पादित किये जाने वाले खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण क्षमता में वृद्धि किये जाने के निर्णय के आलोक में राज्य अंतर्गत कुल– 811 गोदामों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है तथा निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सौंपा गया है। यद्यपि निगम के स्तर पर बड़े निर्माणों का कार्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, परन्तु तत्कालीक आवश्यकताओं के अनुरूप छोटे निर्माणों एवं समुचित मात्रा में उपलब्ध गोदामों में खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण हेतु निर्माण एवं मरम्मति कार्य की आवश्यकताओं को तकनीकी सहायता प्रदान किये जाने की नितांत आवश्यकता होगी, जिसको सुनिश्चित करने के लिए निगम के स्तर पर मूलभूत परिवर्तन के तहत तकनीकी अभियंत्रण संरचना की भी आवश्यकता है, जो आवश्यकतानुरूप छोटे निर्माण एवं उपलब्ध गोदामों की दैनिक रख–रखाव के लिए नितांत आवश्यक है। आवश्यकता अनुरूप छोटे निर्माणों एवं उपलब्ध गोदामों के रख–रखाव के लिए अभियंत्रण संरचना तथा उसपर व्यय होने वाले राशि की व्यवस्था निगम द्वारा अपने आय से प्राप्त होने वाले राशि से व्यय करेगीं।

6. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण कराया जाता है। विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत वर्तमान में किसानों से धान अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अंतर्गत कार्यरत सहकारी समितियों यथा व्यापार मंडल/पैक्सों को एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। उपर्युक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निगम के स्तर पर पृथक रूप से अनुदानित खाद्यान्नों के वितरण एवं धान अधिप्राप्ति के कार्यो के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है।

7. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को समय–समय पर सौंपे जाने वाले दायित्वों के निर्वहन सफलतापूर्वक करने के लिए निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायिक बैंको से

क्रियाशील पूँजी हेतु सरकार की गारंटी प्राप्त कर ऋण प्राप्त किया जाता रहा है। साथ ही निगम अपने स्तर से भी क्रियाशील पूजी हेतु बैंको से ऋण प्राप्त करती है। सरकार के गारंटी के उपरांत प्राप्त ऋण एवं निगम के स्तर से लिये गये ऋणों को ससमय व्यवसायिक बैंको को वापस किये जाने एवं निगम के क्रियाशील पूँजी की चक्रीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भी यह आवश्यक है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के स्तर पर कारगर वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था की जाय। तटस्थ एवं आधुनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था प्रभावी होने से राज्य सरकार तथा भारत सरकार के स्तर से अनुदान एवं अन्य मद में प्राप्त होने वाली बड़ी राशि की प्राप्ति की समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो पायेगी।

8. राज्य के महत्वकांक्षी योजना सुशासन कार्यक्रम 2015–20 के तहत विभिन्न समीक्षाओं के क्रम में बिहार राज्य खाद्य निगम के स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए भी निगम की प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गयी। वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन एवं संरचना के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रमुख अधिप्राप्ति, प्रमुख वित्त, प्रमुख प्रशासन के कुल तीन पद संयुक्त सचिव वेतनमान 37400–67000/– ग्रेड पे – 8700 एवं 25 पद जिला प्रबंधक के रूप में उप सचिव स्तर वेतनमान 15600–39100/– ग्रेड पे – 6600 स्वीकृत है। उक्त के आलोक में दिनांक 10.03.2016 को बिहार राज्य खाद्य निगम के निदेशक पर्षद की 145वीं बैठक सम्पन्न की गई, जिसके मद सं0 145.7 में बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

9. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के निदेशक पर्षद की 145वीं बैठक के मद सं0 145.7 के द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पत्र सं0 4281 दिनांक 04.04.2016 एवं स्मार पत्रांक 1724 दिनांक 20.02.2017 द्वारा निदेशक पर्षद के अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम की प्रशासनिक वर्तमान संरचना की समीक्षोपरांत प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं समीक्षोपरांत मूलभूत परिवर्तन कर नई संरचना का पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा स्वीकृति की गई है । नई प्रशासनिक संरचना में प्रबंध निदेशक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पूर्ववत् रहेंगे एवं मुख्य महाप्रबंधक के दो पद संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून एवं उसके नीचे महाप्रबंधक स्तर के सात पदाधिकारी तथा महाप्रबंधक हेतु अपर समाहर्त्ता के समकक्ष वेतनमान् है जिसमें से तीन पद बिहार प्रशासनिक सेवा या अन्य राज्य सेवा के, एक पद मुख्य सतर्कता पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के तथा तीन पद निगम के सहायक प्रबंधक संवर्ग के प्रोन्नत पद होंगे। इस प्रकार प्रशासी पदवर्ग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत कुल 1281 पदो की स्वीकृति दी गयी। साथ ही साथ नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कार्यालय परिचारी, चालक, रात्रि प्रहरी की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के बाद पद मरणशील हो जायेंगे तथा सहयक लेखापाल (नियत मानदेय–11000/–) कार्यपालक सहायक (नियत मानदेय–11000/–) चालक (नियत मानदेय–10,000/–) एवं कार्यालय परिचारी– (नियत मानदेय–9000/–) की सेवा आउटसोर्स से लिया जायेगा । नियत मानदेय एवं आउटसोर्स पर लिये जाने में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के मापदण्डों के अनुरूप नियमानुसार सेवा ली जायेगी ।

10. दिनांक– 12.06.2017 को आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रशासनिक संरचना के पुर्नगठन हेतु कुल– 1281 पदों पर स्वीकृति दी गयी, जिसकी संरचना में वित्त विभाग की सहमति से निम्नवत् वेतनमान स्वीकृत किया गया है:–

19/7/2017

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या
1	प्रबंध निदेशक (भा0प्र0से0 के सं0स0 या उच्चतर पद)	PB-3 + 7600	01
2	मुख्य महाप्रबंधक (बि0प्र0से0 के संयुक्त सचिव)	PB-4 + 8700	02
3	महाप्रबंधक (बि0प्र0से0 के अपर समाहर्त्ता स्तर)	PB-3 + 7600	07
4	मुख्य सतर्कता पदाधिकारी (बि0प्र0से0 के संयुक्त सचिव)	PB-4 + 8700	01
5	प्रबंध निदेशक के सचिव (उप सचिव स्तर)	PB-3 + 6600	01
6	उप महाप्रबंधक / जिला प्रबंधक (उप सचिव स्तर)	PB-3 + 6600	53
7	विधि पदाधिकारी (मूल कोटि)	PB-2 + 5400	01
8	सतर्कता पदाधिकारी (मूल कोटि)	PB-2 + 5400	02
9	अंकेक्षक पदाधिकारी	PB-2 + 4800	10
10	कम्पनी सचिव	PB-3 + 7600	01
11	प्रबंधक / अपर जिला प्रबंधक	PB-2 + 5400	89
12	लेखा पदाधिकारी	PB-2 + 4800	10
13	सहायक अभियंता	PB-2 + 5400	04
14	कनीय अभियंता	PB-2 + 4200	08
15	कार्यपालक अभियंता	PB-3 + 6600	02
16	बजट पदाधिकारी	PB-2 + 4800	01
17	प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी	PB-2 + 4600	01
18	प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 + 4800	13
19	सहायक लेखा पदाधिकारी	PB-2 + 4600	39
20	प्रबंधक जन संपर्क	PB-2 + 4600	01
21	लेखापाल (उच्चवर्गीय लिपिक)	PB-1 + 2400	50
22	अंकेक्षक	PB-1 + 2800	15
23	सहायक प्रबंधक (टी0पी0डी0एस0+सी0एम0आर0)	PB-2 + 4600	635
24	गुणवत्ता नियंत्रक	PB-1 + 2400	101
25	प्रधान लिपिक	PB-2 + 4200	39
26	निम्नवर्गीय लिपिक	PB-1 + 1900	166
27	आशुटंकक	PB-1 + 2400	13
28	कार्यालय परिचारी	PB-1 + 1800	15
		कुल	1281

उक्त स्वीकृत पदों में से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, पटना में नये नामित पदों यथा, अंकेक्षण पदाधिकारी, प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक, प्रबंधक जनसम्पर्क, सहायक लेखा पदाधिकारी, बजट पदाधिकारी एवं प्रबंधक सूचना प्राद्योगिकी पदों को क्रमशः अनुमंडलीय प्रबंधक, जन सम्पर्क पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी एवं डाटा प्रोसेसिंग सहायक के विरूद्ध समायोजित किया गया है । प्रयोगशाला प्रभारी को गुणवत्ता नियंत्रक पद के विरूद्ध समायोजित किया गया है, तथा ये पद किसी भी प्रकार से नये पद नहीं हैं । महाप्रबंधक स्तर पर एक पद महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं उपमहाप्रबंधक स्तर पर एक पद उपमहाप्रबंधक तकनीकी के रूप में कर्णांकित होंगे ।

प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा स्वीकृत किये गये पदों में से कुछ पद यथा विधि पदाधिकारी की शैक्षणिक योग्यता लॉ स्नातक, सतर्कता पदाधिकारी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी तथा ये बिहार प्रशासनिक सेवा/राज्य सेवा के समकक्षीय पदाधिकारी होंगे । इनका नया वेतनमान इनके समकक्ष पद के अनुरूप होगा एवं निदेशक पार्षद द्वारा नियुक्ति/संवर्ग नियमावली में योग्यता एवं अन्य सेवा शर्तो को निर्धारित की जायेगी ।

11. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत् लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन हेतु कुल 1281 पदों की स्वीकृति एवं सहायक लेखापाल (नियत मानदेय 11000/–), कार्यपालक सहायक (नियत मानदेय 11000/–), चालक (नियत मानदेय 10000/–) एवं कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी सहित) (नियत मानदेय 9000/–) की सेवा आउटसोर्स के माध्यम से लिये जाने का निदेश दिया गया जिसका वार्षिक वित्तीय व्यय भार 3815.18 लाख (तीन हजार आठ सौ पन्द्रह लाख अठारह हजार) रूपये अनुमानित है । साथ ही साथ पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कार्यालय परिचारी, चालक, रात्रि प्रहरी की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के बाद पद मरणशील हो जायेंगे। इस व्यय भार का वहन निगम के द्वारा व्यवसाय एवं निगम द्वारा अर्जित राशि एवं कमीशन पर आधारित होगा तथा सरकार के स्तर से पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों के वेतन आदि मद में कोई आर्थिक सहायता देय नहीं होगा एवं निगम इसके भुगतान आदि की व्यवस्था अपने आय के स्रोत से करेगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन एवं वार्षिक वित्तीय व्यय 3815.18 लाख (तीन हजार आठ सौ पन्द्रह लाख अठारह हजार) रूपये पर 1281 पदों की स्वीकृति एवं सहायक लेखापाल, कार्यपालक सहायक, चालक एवं कार्यालय परिचारी की सेवा आउटसोर्स से लेने के साथ उपरोक्त पदों की स्वीकृति दी जाती है । **(परिशिष्ट–1 एवं 2)**

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 03.10.2017 को मद संख्या–27 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–प्र03–विविध नि0–10/2016/34 टि0।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 – 5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ डैण्ˇवतक मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17
प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 -5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

18/10/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र03–विविध नि0–10/2016 5363 खाद्य–पटना/दिनांक– 18.10.17
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

18/10/2017
सरकार के सचिव ।

राज्य स्तर पर प्रशासनिक सरंचना (पुर्नगठित)

परिशिष्ट–1

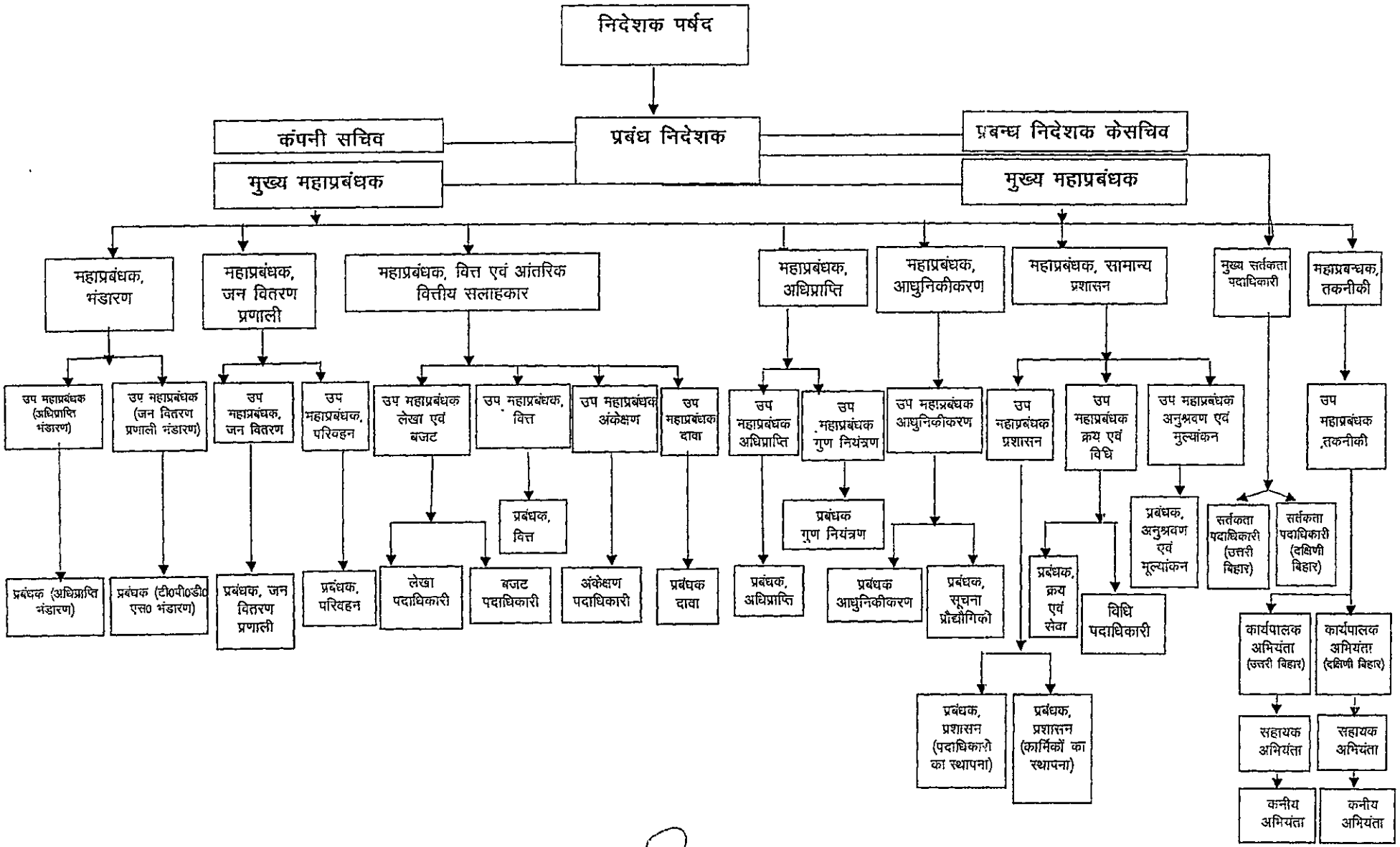

परिशिष्ट–2

जिला स्तर पर प्रशासनिक सरंचना (पुर्नगठित)